उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
Gvt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या : 1862 –अ0प्र0–07 / पा0का0लि0 / 14–26–अ0प्र0–07 / 08 दिनांक: 09 / 05 / .2014

कार्यालय ज्ञाप

निर्धारित ऑन जॉब एवं आधारभूत प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के आधार पर अधोलिखित सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (वैद्युत एवं यांत्रिक), जिनकी नियुक्ति कारपोरेशन आदेश सं0–1031–अ0प्र0–07 / पाकालि / 2008–26–अ0प्र0–07 / 08, दिनांक 05.05.12 द्वारा हुई थी, को कार्यग्रहण करने की तिथि से स्थानापन्न एवं अस्थायी सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) पद पर उपरोक्त सन्दर्भित कारपोरेशन आदेश दिनांक 05.05.12 में वर्णित सेवा शर्तो के अधीन नियुक्त किया जाता है एवं उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में इंगित इकाई में तैनात किया जाता है :–

क्र0 सं0	नाम / पिता का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद / शाखा / श्रेणी	अनुक्रमांक	अभिज्ञान सं0	सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) के पद पर तैनाती	सहायक अभियन्ता के पद पर तैनाती
1	2	3	4	5	6
1	श्री दीपांशु सहाय S/o अशोक कुमार 18.04.85 / मुरादाबाद / इलेक्ट्रिकल / अनुसूचित जाति	11100913	2014371	पश्चिमांचल	पश्चिमाचंल

2. उपरोक्त सहायक अभियन्ता पर पावर कारपोरेशन द्वारा भविष्य में समय–समय पर जारी किये जाने वाले सेवा नियम, विनियम एवं आदेश लागू होगें।
3. उपरोक्त सहायक अभियन्ता पर कारपोरेशन में वर्तमान में प्रभावी अंशदायी भविष्य निधि योजना (सी0पी0एफ) 2004 एवं तत्सम्बन्धी प्राविधान लागू होगें।
4. उपरोक्त नियुक्ति सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के सन्तोषजनक पाये जाने के प्रतिबन्ध के अधीन की गई है। चरित्र एवं पूर्ववृत्त के असंतोषजनक पाये जाने की दशा में सहायक अभियन्ता पद पर नियुक्ति किसी भी समय बिना कारण बताये हुए अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
5. यह नियुक्ति अस्थायी है और कारपोरेशन के संगत नियमों के अनुरूप अनु0जाति / अनु0जनजाति / पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन किये जाने की शर्त पर की जाती है। यदि अनु0जाति / अनु0जनजाति / पिछड़ा वर्ग का दावा झूठा पाया जाता है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता की सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और झूठे प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत आगे की कोर्यवाही बिना किसी पूर्वाग्रह के की जायेगी।
6. उपरोक्तानुसार सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु वास्तविक यात्रा अवधि एवं सामान्य यात्रा भत्ता ही देय होगा एवं कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता अनुमन्य नही होगा।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या:1862(1)–अ0प्र0–07 / पा0का0लि0 / 2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / समस्त निदेशक गण उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
2 प्रबन्ध निदेशक पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
3 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4 निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।

5 निदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास) उ0प्र0पाकालि, सरोजनी नगर, लखनऊ।
6 मुख्य अभियन्ता, (जानपद) पारेषण, उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7 मुख्य अभियन्ता कम्प्यूटराइजेशन इकाई उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
8 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
9 उपसचिव (03 एवं 04) उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10 उपरोक्त नामित सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि वे कार्यभार ग्रहण प्रमाणक कारपोरेशन मुख्यालय एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) को अवश्यमेव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11 अधिशाषी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407 उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12 वैयक्तिक पत्रावली / कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव